राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 2034/2015/सिरोही
2. अपील संख्या 2035/2015/सिरोही
3. अपील संख्या 2036/2015/सिरोही

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, सिरोही। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स सेठी आयरन एण्ड स्टील,
आदर्शनगर कॉलोनी, आबू रोड, सिरोही। .....प्रत्यर्थी

1. क्रॉस आब्जेक्शन संख्या 804/2016/सिरोही
2. क्रॉस आब्जेक्शन संख्या 805/2016/सिरोही
3. क्रॉस आब्जेक्शन संख्या 917/2017/सिरोही

मैसर्स सेठी आयरन एण्ड स्टील,
आदर्शनगर कॉलोनी, आबू रोड, सिरोही। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, सिरोही। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई उप राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.
श्री आर.आर.सिंघवी, अभिभाषक .....व्यवहारी फर्म की ओर

निर्णय दिनांक : 17.07.2017

निर्णय

1. अपीलार्थीगण राजस्व द्वारा यह अपीलें एवं व्यवहारी द्वारा क्रास आबजेक्शन अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा निम्न तालिकानुसार पारित आदेशों दिनांक 15.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24(6), 55 सपठित नियम 35 अंतर्गत धारा 25, 55, 59, 61(i), 62 के अन्तर्गत पारित आदेशों को पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

कर बोर्ड की अपील संख्या	अपीलीय आदेश सं. एंव दिनांक	क.नि.आ. दिनांक	क.नि.वर्ष
2034/15	52/15.05.15	24.06.2014	2008–09
2035/15	53/15.05.15	24.06.2014	2009–10
2036/15	54/15.05.15	24.06.2014	2010–11
804/16	52/15.05.15	24.06.2014	2008–09
805/16	53/15.05.15	24.06.2014	2009–10
917/17	54/15.05.15	24.06.2014	2010–11

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य समान होने के कारण इनका निस्तारण एक संयुक्त आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जावें।

3. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 10.01.2011 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन प्रथम, आबूरोड द्वारा व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया जाकर अभियोग बनाया गया था, जिसका निस्तारण दिनांक 07.12.2011 को कर निर्धारण आदेश पारित

लगातार.....2

किया गया था जिनके विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा संयुक्त आदेश दिनांक 30.07.2012 के जरिये प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये गये थे जिसमें प्रतिप्रेषण का आधार यह दिया गया था कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखा पुस्तकों के अभाव में एकतरफा कार्यवाही की गई है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। उक्त अपीलीय निर्णय दिनांक 30.07.2012 में दिये गये निर्णय में यह भी विस्तार से बताया गया था कि ऑडिट में यह तथ्य सामने आया कि व्यवसायी द्वारा अभिग्रहित रिकार्ड में की गई बिक्री के बिल जारी नहीं किये गये थे तथा अभिग्रहित रिकार्ड कार्यालय से दिनांक 01.07.2011 की मध्य रात्रि में चोरी हुआ था, जिसके सम्बन्ध में थानाधिकारी आबूरोड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.12.2011 अनुसार अभिग्रहित बहियातों की चोरी फर्म मालिक श्रीमती भगवान देवी के पुत्र श्री सतीश सेठी जो फर्म का बिजनेस मैनेजर थे द्वारा किया जाना स्वीकार किया था। उक्त निर्णय में यह भी बताया गया था कि अपीलीय स्तर पर दिनांक 07.02.2012 को श्री सतीशचन्द्र सेठी ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत कर मैसर्स सेठी फेब्रीकेशन के नाम की एक अन्य फर्म होना बताया था, जो जॉब वर्क का कार्य करती है तथा सर्वेक्षण में पाये गये रिकार्ड में सेठी फेब्रिकेशन का रिकार्ड भी शामिल होना बताया है वह तथ्य कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उल्लेख नहीं किया गया था फिर भी अपील निर्णय में प्रतिप्रेषण के निर्देशों में सेठी फेब्रिकेशन से संबंधित जांच करने के निर्देश भी दिये गये थे। इस तरह प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 30.07.2012 के निर्देशों की पालना में तीनों वर्षो के पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.06.2014 को पारित किये गये जिसमें इन वर्षों से संबंधित प्रथम बार किये गये कर निर्धारण आदेशों का पूरा वर्णन दिया गया है। आदेश में यह विशिष्ट तथ्य बताया गया कि दिनांक 10.01.2011 को विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के पश्चात अभिग्रहित बहियात की ऑडिट कर, कर चोरी संबंधित विक्रय संव्यवहार अवधारित कर दिये गये थे परन्तु दिनांक 01.07.2011 को अभिग्रहित बहियात की कार्यालय से चोरी हो गई थी जिसके संबंध में फर्म के संबंधित व्यक्तियों द्वारा चोरी करवाना स्वीकार किया गया था एवं संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया है कि इन परिस्थतियों में व्यवसायी द्वारा विधिक कार्यवाही से बचाव के लिये अभिग्रहित बहियात की प्रतियां चाही गई जो व्यवहारिक नहीं थी। इस तरह पूर्ण तथ्यों का विवेचन करते हुए जो पुनः आदेश दिनांक 24.06.2014 को पारित किये गये थे उनके विरूद्ध पुनः अपील की जाने पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15.05.2015 को आदेश पारित कर प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है जिसमें अपीलार्थी फर्म की मालकिन का निधन दिनांक 27.04.2014 को हो जाने की सूचना होने के बावजूद भी उत्तराधिकारियों को सम्मन जारी किए बिना आदेश पारित करना विधिनुकूल नहीं होना अवधारित किया गया है एवं पूर्व के अपीलीय आदेश दि0 30.07.2012 के निर्देशों की पालना करते हुए पुनः आदेश करने के निर्देश कर निर्धारण अधिकारी को दिये गये है।

लगातार.....3

4. उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 15.05.2015 के विरूद्ध राजस्व की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है एवं अपीलार्थी की ओर से क्रॉस आब्जेक्शन पेश किये गये है।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। समस्त कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेशों का अध्ययन किया गया। प्रकरण में राजस्व की ओर से अपीलीय आदेश में दिये गये निर्णय में प्रतिप्रेषण के निर्देशों को अविधिक बताया गया है परन्तु यह तथ्य रिकार्ड से परिलक्षित है कि फर्म मालिक का देहान्त 27.04.2014 को हो गया था एवं विवादित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.06.2014 को पारित किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के समस्त उत्तराधिकारियों को नोटिस दिये जाने की अनिवार्यता थी जो पूरी नहीं की गई है ऐसी स्थिति में अपीलीय आदेश दिनांक 15.05.2015 में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है अतः कर निर्धारण अधिकारी को अपीलीय आदेश की पालना में विधिक प्रक्रियानुसार नोटिस जारी कर समुचित आदेश पुनः पारित करने के आदेश दिये जाते है, कर निर्धारण अधिकारी गुणावगुण के आधार पर पुनः आदेश पारित करे। फलतः राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती है एवं क्रॉस आब्जेक्शन का भी निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

17/7/2017

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य